कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 318/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 14.08.2026

पुलिस लाइन, जनपद–आजमगढ़

➡ **कांवड़िया श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सम्मानजनक व्यवहार हेतु पुलिसकर्मियों को दिया गया बिहेवियर, कम्युनिकेशन एवं सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण**

➡ **डीआईजी श्री देवरंजन वर्मा के निर्देशन में पुलिस लाइन आजमगढ़ में पुलिसकर्मियों को Behavioural, Communication & Soft Skills का अर्द्धदिवसीय प्रशिक्षण कराया गया।**

➡ **श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ-साथ उनके प्रति संवेदनशील, शालीन एवं सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने पर दिया गया विशेष जोर।**

➡ **जनपद आजमगढ़, मऊ एवं बलिया के 455 पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों ने लिया प्रशिक्षण।**

➡ **Cultural Sensitivity, सेवाभाव, Social Skills एवं श्रद्धालुओं के प्रति संवेदनशीलता सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर दिया गया व्यवहारिक प्रशिक्षण।**

➡ **श्रद्धालुओं एवं सहकर्मियों के साथ विश्वास, बेहतर समन्वय एवं प्रभावी संवाद स्थापित करने तथा विभिन्न परिस्थितियों में समस्या समाधान के बताए गए व्यवहारिक तरीके।**

➡ **तनावपूर्ण परिस्थितियों में संयम बनाए रखने, Stress Management एवं Emotional Wellbeing के साथ सकारात्मक एवं प्रभावी संवाद कौशल विकसित करने पर दिया गया बल।**

आज दिनांक 14.08.2026 को पुलिस लाइन आजमगढ़ में डीआईजी श्री देवरंजन वर्मा द्वारा श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों के लिए Behavioural, Communication & Soft Skills विषयक अर्द्धदिवसीय प्रशिक्षण संपन्न कराया गया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं की विभिन्न आस्थाओं, रीति-रिवाजों एवं भावनाओं के प्रति संवेदनशील बनाते हुए उनके साथ शालीन, सम्मानजनक एवं सहयोगात्मक व्यवहार के लिए प्रशिक्षित करना रहा। प्रशिक्षण में सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज, उचित मौखिक एवं गैर-मौखिक संवाद तथा सेवाभाव के माध्यम से श्रद्धालुओं के साथ बेहतर विश्वास एवं समन्वय स्थापित करने के संबंध में व्यवहारिक जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण में Cultural Sensitivity, सेवाभाव, Social Skills, श्रद्धालुओं के प्रति संवेदनशीलता, Building Trust & Rapport, Collaboration & Problem Solving, Compassion for Self तथा Stress Management & Emotional Wellbeing जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को कांवड़ यात्रा के दौरान विभिन्न परिस्थितियों में संयम एवं धैर्य बनाए रखते हुए श्रद्धालुओं की सहायता, सुरक्षा एवं सुविधा को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सके।

इस अवसर पर पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़, श्री सुनील कुमार सिंह, आजमगढ़, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल, क्षेत्राधिकारी नगर श्री शुभम तोदी सहित जनपद आजमगढ़, मऊ एवं बलिया के लगभग 455 अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
आजमगढ़ पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु निरंतर आवश्यक प्रशिक्षण एवं व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

थाना–कोतवाली, जनपद–आजमगढ़

➡️ झाड़-फूंक एवं तंत्र-मंत्र का झांसा देकर महिलाओं को बेहोश कर जेवरात व नगदी चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ चोरी का माल खरीदकर गलाने वाले सुनार सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से मंगलसूत्र, नाक की कील, नगदी एवं तंत्र-मंत्र का सामान बरामद

➡️ अभियुक्तों द्वारा महिलाओं को विश्वास में लेकर बेहोशी की दवा पिलाकर/सूंघाकर घर से जेवरात व नगदी चोरी करने की घटनाओं का खुलासा

घटना का पूर्व इतिहास-

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ पर वादिनी गुड़िया पत्नी शमशाद अहमद निवासी जलंधरी, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी पुत्री रोजी की तबीयत खराब चल रही थी। करीब चार माह पूर्व मोहम्मद आजम पुत्र इसरार अहमद निवासी फ्रेन्ड्स कालोनी बदरका, थाना कोतवाली, आजमगढ़ अपने साथी अब्दुल राजिक पुत्र मोहम्मद रईश निवासी कोईलारी, थाना रानी की सराय, आजमगढ़ के साथ चंदा मांगने उसके घर आया था तथा उसकी पुत्री को झाड़-फूंक से ठीक करने का झांसा दिया। इसके बाद वादिनी अपनी पुत्री रोजी एवं बहन कुल्सुम के साथ उसके घर गई, जहां झाड़-फूंक एवं ताबीज दिया गया। अगले दिन दोनों अभियुक्त वादिनी के घर पहुंचे तथा झाड़-फूंक के नाम पर पानी में कुछ मिलाकर पिलाया एवं कोई पदार्थ सुंघाया, जिससे वादिनी, उसकी पुत्री एवं बहन बेहोश हो गईं। इसी दौरान अभियुक्तों द्वारा घर की अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात एवं नगदी चोरी कर ली गई। उक्त घटना के संबंध में थाना कोतवाली पर *मु0अ0सं0-421/2026 धारा 318(4)/123/305 बीएनएस* पंजीकृत किया गया।

इसी प्रकार वादी रिजवान अहमद पुत्र वकील अहमद निवासी बाज बहादुर, थाना कोतवाली, आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 25.03.2026 को उसके घर पर दो व्यक्ति झाड़-फूंक एवं चंदा मांगने के बहाने आए तथा उसकी पत्नी को तंत्र-मंत्र एवं काले साये का झांसा देकर भ्रमित किया। इसके बाद फूंका हुआ पानी छिड़कने एवं कोई पदार्थ सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया तथा घर में रखे जेवरात चोरी कर ले गये। उक्त घटना के संबंध में थाना कोतवाली पर *मु0अ0सं0-422/2026 धारा 123/318(4)/305/352/351(3) बीएनएस* पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी एवं घटना का अनावरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा की सूचना पर दिनांक 13.08.2026 को समय करीब 23:28 बजे कोट तिराहा से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 03 अभियुक्तों *1. मोहम्मद आजम पुत्र इसरार अहमद उम्र करीब 24 वर्ष, 2. अब्दुल राजिक पुत्र मोहम्मद रईश उम्र करीब 29 वर्ष एवं 3. सूरज वर्मा पुत्र स्व0 रामरतन सेठ उम्र करीब 38 वर्ष* को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि मोहम्मद आजम एवं अब्दुल राजिक महिलाओं को झाड़-फूंक एवं तंत्र-मंत्र के नाम पर विश्वास में लेकर बेहोशी की दवा पिलाते/सूंघाते थे तथा उनके घर से जेवरात एवं नगदी चोरी कर लेते थे। चोरी के जेवरात को अभियुक्त सूरज वर्मा द्वारा सस्ते दामों में खरीदकर गलाकर आगे बेच दिया जाता था। अभियुक्तों की निशानदेही/कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. *मोहम्मद आजम पुत्र इसरार अहमद*, निवासी फ्रेण्ड्स कालोनी बदरका, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।
2. *अब्दुल राजिक पुत्र मोहम्मद रईश*, निवासी ग्राम कोईलारी, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 29 वर्ष।
3. *सूरज वर्मा पुत्र स्व0 रामरतन सेठ*, निवासी मोहल्ला दलसिंगार, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 02 मंगलसूत्र के लॉकेट।
- 01 अदद नाक की कील।
- ₹700/- नगद एवं 08 सिक्के।
- 01 अदद मिट्टी का मटका।
- 01 अदद कांच की शीशी।
- करीब 150–200 ग्राम काली सरसों एवं अन्य तंत्र-मंत्र/झाड़-फूंक का सामान।

पंजीकृत अभियोग

1. *मु0अ0सं0-0421/2026 धारा 318(4)/123/305 बीएनएस*, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
2. *मु0अ0सं0-0422/2026 धारा 123/318(4)/305/352/351(3) बीएनएस*, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, उ0नि0 महेन्द्र कुमार सिंह, का0 पिन्टु यादव, रि0का0 अभिषेक जायसवाल एवं रि0का0 गिरिजाशंकर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

थाना–मुबारकपुर, जनपद–आजमगढ़

➡️ साइबर फ्रॉड के शिकार पीड़ित के ₹23,000/- रुपये साइबर टीम ने कराए वापस

➡️ बैंक कर्मचारी बनकर चेकबुक एवं ओटीपी की जानकारी लेकर ₹99,000/- की ठगी की गई थी

➡️ साइबर टीम की त्वरित कार्रवाई से ठगी की धनराशि होल्ड कराकर ₹23,000/- पीड़ित के खाते में वापस कराए गए

घटना का विवरण-
दिनांक 04.12.2025 को आवेदक/शिकायतकर्ता मकबूल आजम पुत्र मु0 सिद्दीकी निवासी ग्राम पुरासोफी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ के मोबाइल पर अज्ञात नंबर से फोन आया। फोनकर्ता द्वारा स्वयं को बैंक कर्मचारी बताते हुए शिकायतकर्ता की चेकबुक आने की बात कही गई तथा कुछ आवश्यक जानकारी एवं ओटीपी मांगा गया। शिकायतकर्ता द्वारा जानकारी साझा करते ही उसके खाते से ₹99,000/- कट गए। साइबर फ्रॉड की जानकारी होने पर शिकायतकर्ता द्वारा तत्काल *NCRP पोर्टल* पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसका *Ack No. 33112250173899* है।
कृत कार्यवाही-
शिकायत प्राप्त होने पर स्थानीय साइबर क्राइम टीम थाना मुबारकपुर एवं जनपद साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए फ्रॉड की धनराशि को होल्ड कराया गया। जांच के क्रम में शिकायतकर्ता के फ्रॉड हुए *₹23,000/-* नियमानुसार उसके खाते में वापस करा दिए गए।
बरामद/वापस कराई गई धनराशि-
₹23,000/-
साइबर टीम-

1. उ0नि0 विधेनश वर्मा
2. रि0का0 विवेक कुमार चौहान
3. रि0का0 अभिषेक यादव
4. म0का0 प्रियंका तिवारी

थाना–सिधारी, जनपद–आजमगढ़

➡️ किशोरी को जलाकर मारने की घटना में सहयोग करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ थाना सिधारी पर पंजीकृत गंभीर धाराओं के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार

पूर्व की घटना-
दिनांक 01.05.2026 को वादिनी द्वारा थाना सिधारी पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षीगण द्वारा उसकी *किशोरी पुत्री को जलाकर मार दिया गया।* उक्त प्रकरण के संबंध में थाना सिधारी पर *मु0अ0सं0-148/2026 धारा 87/137(2)/115(2)/64(2)(m)/109/103(1)/61(1)* बीएनएस एवं *धारा 5J(4)/6* पॉक्सो एक्ट पंजीकृत है, जिसकी विवेचना प्रचलित है।
गिरफ्तारी का विवरण-
दिनांक 14.08.2026 को उ0नि0 जावेद सिद्दीकी मय हमराह का0 अवनीश यादव एवं म0का0 श्वेता पाण्डेय द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त *शंकर लोना पुत्र स्व0 पन्नालाल लोना, निवासी शाहपुर फिरोजपुर, थाना जलालपुर, जनपद अम्बेडकरनगर, उम्र करीब 55 वर्ष* को समय करीब *10:34 बजे मुण्डा हनुमान जी मंदिर के पास* से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1-*शंकर लोना पुत्र स्व0 पन्नालाल लोना*, निवासी शाहपुर फिरोजपुर, थाना जलालपुर, जनपद अम्बेडकरनगर, उम्र करीब 55 वर्ष।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 जावेद सिद्दीकी, का0 अवनीश यादव एवं म0का0 श्वेता पाण्डेय, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

➡ परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई-किरण की बैठक में अथक प्रयास से 01 बिखरे परिवार में कराया गया समझौता

➡ पति-पत्नी के विवाद का आपसी सहमति से समाधान, 02 पत्रावलियों में हुई पक्षों की सुनवाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 14.08.2026 को थाना कोतवाली परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई-किरण में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 03 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को नोटिस/दूरभाष के माध्यम से बुलाया गया, जिसमें 02 पत्रावलियों में पक्ष उपस्थित हुए।
परिवार परामर्श प्रकोष्ठ द्वारा अथक प्रयास एवं समझा-बुझाकर 01 प्रकरण में पति-पत्नी के मध्य आपसी सहमति से समझौता कराया गया, जबकि 01 पत्रावली अन्य कारण से बंद की गई। शेष प्रकरण में अग्रिम तिथि नियत कर सुनवाई की जाएगी।
समझौता प्राप्त प्रकरण:
1. पूनम पत्नी दुर्गेश, ग्राम धरनीपुर विसया, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

नई-किरण प्रोजेक्ट के माध्यम से पारिवारिक विवादों का आपसी संवाद एवं परामर्श के जरिए समाधान कर बिखरे परिवारों को पुनः एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पारिवारिक न्यायालयों के कार्यभार को भी कम करने में सहायता मिलेगी।

थाना–गम्भीरपुर, जनपद–आजमगढ़

➡ जान से मारने की नियत से हमला करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡ घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे का राड बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 30.07.2026 को वादी जुम्मन पुत्र सोवरन निवासी ग्राम उबारपुर अमानगंज, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ अपने साथी आशीष गौड़ एवं अमित तिवारी के साथ गोसाई की बाजार में सब्जी खरीदने गया था। वादी द्वारा सब्जी खरीदते समय सुनील सेठ पुत्र बबलू सेठ निवासी ग्राम मईखरगपुर, थाना गम्भीरपुर एवं शशांक सिंह उर्फ मंकू सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी ग्राम कटघर (गोमाडीह), थाना गम्भीरपुर द्वारा गाली-गलौज करते हुए लोहे के राड एवं हाकी से मारपीट की गई। सुनील सेठ द्वारा ललकारने पर शशांक सिंह उर्फ मंकू सिंह ने जान से मारने की नियत से वादी के सिर पर लोहे के राड से गंभीर प्रहार किया, जिससे वादी गिरकर बेहोश हो गया। उक्त प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 187/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।
गिरफ्तारी का विवरण-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर आजमगढ़ के कुशल निर्देशन एवं थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में दिनांक 14.08.2026 को उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्रा मय हमराह का0 सुरेश राजभर एवं का0 पवन कुमार द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त *शशांक सिंह उर्फ मंकू सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी ग्राम कटघर (गोमाडीह), थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़* को समय करीब 10:05 बजे गोसाई की बाजार से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त *एक अदद लोहे का राड* बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-
शशांक सिंह उर्फ मंकू सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी ग्राम कटघर (गोमाडीह), थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 187/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
बरामदगी का विवरण-
01 अदद लोहे का राड।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
1. उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्रा, का0 सुरेश राजभर, का0 पवन कुमार, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक-14.08.26 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि (2 माह 4 दिवस) के कारावास व 7500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना मुबारकपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में 1 आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि (2 माह 4 दिवस) के कारावास व 7500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ ***दिनांक-09.09.2009 को वादी मुकदमा उ0नि0 रामसकल यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त सहातम पुत्र रामनाथ राजभर निवासी कस्बा सराय थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 10 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद होना।***

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0-926/2009 धारा-272 भादवि व 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में ***आज दिनांक- 14.08.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/ एन्टीकरप्शन(SPL) कोर्ट नं0-01 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सहातम पुत्र रामनाथ राजभर निवासी कस्बा सराय थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (2 माह 4 दिवस) के कारावास व 7500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 14.08.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोज[न] द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा लूट के आरोप मे 7 वर्ष के कारावास व 5000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना कन्धरापुर में पंजीकृत अपराध जिसमें लूट के आरोप मे 7 वर्ष के साधारण कारावास व 5000 रु के अर्थदण्ड से दण्डि[त] किया गया।

➡ ***दिनांक- 01.02.2014 को वादी बृजेश कुमार यादव पुत्र पारसनाथ यादव निवासी मुहल्ला सर्फुददीनपु[र] थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त सुनील यादव पुत्र बृजराज याद[व] निवासी बरोही पुरापाण्डेय थाना राजे सुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर के द्वारा वादी मोटर साईकिल से 2.[...] लाख रुपया लेकर आते समय जबरजस्ती छीन कर भाग जाना।***

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0- 07/2014 धारा-392 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त मे 7 गवाह परीक्षित हुए।

➡ जिसके क्रम में ***दिनांक- 14.08.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-10 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदम[ा] उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील यादव पुत्र बृजराज यादव निवासी बरोही पुरापाण्डेय थाना राजे सुल्तानपु[र] जनपद अम्बेडकर नगर को दोषसिद्ध पाते हुए 7 वर्ष के कारावास व 5000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***